

उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
संख्या- 46 /तीन-2026
लखनऊ: दिनांक: 12 जनवरी, 2026

विज्ञप्ति

सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या-671/तीन-2025-39(2)/2016 दिनांक 17 नवम्बर, 2025 द्वारा वर्ष 2026 हेतु घोषित अवकाशों की सूची के प्रस्तर-2(II) में वर्ष 2026 के लिए निर्बन्धित अवकाश की सूची के क्रमांक-2 पर मकर संक्रान्ति के अवसर पर दिनांक 14 जनवरी, 2026 (बुधवार) को निर्बन्धित अवकाश घोषित किया गया है। शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मकर संक्रान्ति के अवसर पर दिनांक 14 जनवरी, 2026 (बुधवार) को घोषित निर्बन्धित अवकाश के स्थान पर दिनांक 15 जनवरी, 2026 (गुरुवार) को निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में मकर संक्रान्ति के पावन अवसर पर दिनांक 15 जनवरी, 2026 (गुरुवार) को निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। तदनुसार सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति दिनांक 17 नवम्बर, 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

एस0वी0एस0 रंगा राव,
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन।
- 2- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रमुखसचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 5- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 6- महालेखाकार, उ0प्र इलाहाबाद।
- 7- प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0
- 8- समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 9- सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 10- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 11- प्रबन्धक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक आफ बडौदा, आंचलिक कार्यालय 45 भारतीय जीवन बीमा निगम बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ।
- 12- क्षेत्रीय निदेशक, उ0प्र0 एव उत्तराखण्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर।
- 13- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को इस विज्ञप्ति का आवश्यक प्रसार एवं प्रचार कराने हेतु।
- 14- महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 15- कुलपति, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
- 16- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ।
- 17- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
(जुहैर बिन सगीर)
विशेष सचिव।